प्रेस को सूचना (प्रेस विज्ञप्ति सं. 155/2026)

तत्काल प्रकाशन हेतु

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

भादूविप्रा ने "अंतः संयोजन (इन्टर्कनेक्ट) करार रजिस्टर (चौथा संशोधन) विनियम, 2026" जारी किए।

नई दिल्ली, 6 नवंबर 2026 - भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने **"अंतः संयोजन (इन्टर्कनेक्ट) करार रजिस्टर (चौथा संशोधन) विनियम, 2026"** जारी किया। ये विनियम 1 जनवरी, 2027 से प्रभावी होंगे।

2. दूरसंचार में अंतः संयोजन से आशय उन वाणिज्यिक और तकनीकी व्यवस्थाओं से है जो दो या अधिक दूरसंचार नेटवर्कों को जोड़ती हैं, जिससे उनके बीच दूरसंचार ट्रैफिक का प्रवाह संभव होता है और विभिन्न सेवा प्रदाताओं के उपयोगकर्ता निर्बाध रूप से संचार कर सकते हैं। अंतः संयोजन (इन्टर्कनेक्ट) करार रजिस्टर विनियम, 1999, सेवा प्रदाताओं के बीच किए गए अंतः संयोजन करारों के पंजीकरण और रखरखाव के लिए विनियामकीय ढांचा प्रदान करते हैं।

3. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 11 की उपधारा (1) के खंड (ख) के उपखंड (vii) और (viii), अन्य बातों के साथ-साथ भादूविप्रा को अंतः संयोजन करार रजिस्टर बनाए रखने तथा निर्धारित शुल्क के भुगतान और अन्य विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अधीन उसे सार्वजनिक निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराने का अधिकार प्रदान करते हैं।

4. अंतः संयोजन संबंधी मामलों को नियंत्रित करने वाले मौजूदा विनियामक ढाँचे को प्रासंगिक, पारदर्शी और सेवा प्रदाताओं के बीच कुशल अंतः संयोजन के अनुकूल बनाए रखने के लिए भादूविप्रा ने दिनांक 03.04.2025 को "अंतः संयोजन संबंधी मामलों पर भादूविप्रा के मौजूदा विनियमों की समीक्षा" विषय

सचिव/Secretary
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
Telecom Regulatory Authority of India
नई दिल्ली/New Delhi

पर पूर्व-परामर्श पत्र के माध्यम से नियामक ढांचे की समीक्षा आरंभ की। इस पूर्व-परामर्श पत्र के माध्यम से, अन्य बातों के साथ-साथ, अन्तः संयोजन (इन्टर्कनेक्ट) करार रजिस्टर विनियम, 1999 की समीक्षा के लिए हितधारकों की टिप्पणियाँ आमंत्रित की गई थीं।

5. तत्पश्चात, पूर्व-परामर्श प्रक्रिया के दौरान हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए तथा पृष्ठभूमि संबंधी जानकारी प्रदान करते हुए "अंतः संयोजन संबंधी मामलों पर भादूविप्रा के मौजूदा विनियमों की समीक्षा" विषय पर दिनांक 10.11.2025 को एक परामर्श पत्र जारी किया गया था। परामर्श पत्र के माध्यम से, अन्य बातों के साथ-साथ, अंतः संयोजन (इन्टर्कनेक्ट) करार रजिस्टर विनियम, 1999 की समीक्षा के लिए हितधारकों की टिप्पणियाँ आमंत्रित की गईं। समय-सीमा बढ़ाए जाने के पश्चात, लिखित टिप्पणियाँ और प्रति-टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने की अंतिम तिथियाँ क्रमशः 15.12.2025 और 29.12.2025 थीं।

6. परामर्श पत्र में उठाए गए मुद्दों के उत्तर में सत्रह हितधारकों ने अपनी टिप्पणियाँ प्रस्तुत कीं, जबकि नौ हितधारकों ने प्रति-टिप्पणियाँ प्रस्तुत कीं। परामर्श प्रक्रिया के अंतर्गत दिनांक 28.01.2026 को परामर्श पत्र पर खुली परिचर्चा (ओएचडी) आयोजित की गई। परामर्श प्रक्रिया के दौरान हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों और उनके विश्लेषण के आधार पर भादूविप्रा ने अंतः संयोजन (इन्टर्कनेक्ट) करार रजिस्टर (चौथा संशोधन) विनियम, 2026 को अंतिम रूप दिया है।

7. संशोधन विनियमों के प्रमुख बिन्दु नीचे दिए गए हैं:

(i) अंतः संयोजन करारों का ऑनलाइन पंजीकरण: संशोधन विनियमों में सभी सेवा प्रदाताओं के लिए अपने अंतः संयोजन करारों तथा उनमें किए गए किसी भी संशोधन को इस प्रयोजन के लिए भादूविप्रा द्वारा स्थापित पोर्टल के माध्यम से पंजीकृत करने का प्रावधान किया गया है। मुद्रित प्रतियों के साथ फ्लॉपी/डिस्केट में सॉफ्ट कॉपी प्रस्तुत करने की पूर्ववर्ती अपेक्षा को समाप्त कर दिया गया है। 1 जनवरी, 2027 को प्रवृत्त करारों को उक्त तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर तथा नए करारों और उनमें किए गए संशोधनों को उनके निष्पादन या संशोधन की

सचिव/Secretary
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
Telecom Regulatory Authority of India
नई दिल्ली/New Delhi

तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। इससे अंतः संयोजन करारों के कुशल पंजीकरण, अद्यतन रजिस्टर के रखरखाव और करारों की पुनर्प्राप्ति में सुविधा होगी।

(ii) टेक्स्ट-सर्च योग्य इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों की प्रस्तुतिः सेवा प्रदाताओं से अपेक्षित है कि वे अंतः संयोजन करारों तथा उनमें किए गए संशोधनों की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां, पंजीकरण के लिए विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर, पाठ-खोज योग्य पीडीएफ प्रारूप में प्रस्तुत करें। इससे दस्तावेजों के कुशल प्रसंस्करण, परीक्षण, रखरखाव और पुनर्प्राप्ति में सुविधा होगी।

(iii) अंतः संयोजन करारों के रजिस्टर तक डिजिटल/ऑनलाइन पहुंचः संशोधित ढांचे में अंतः संयोजन करारों के रजिस्टर के निरीक्षण के लिए आवेदन प्रस्तुत करने, रजिस्टर के विहित भाग तक पहुंच प्राप्त करने तथा उसकी प्रतियां या उद्धरण प्राप्त करने के लिए पोर्टल के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत करने का उपबंध किया गया है। इससे मौजूदा भौतिक माध्यम के अतिरिक्त रजिस्टर के प्रासंगिक भागों तक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पहुंच सुगम होगी, जिससे लागू विनियामक उपबंधों के अधीन जनसाधारण के लिए पहुंच और सुविधा में वृद्धि होगी।

(iv) पृथक-पृथक सूचना का समयबद्ध प्रस्तुतीकरणः भादूविप्रा अंतः संयोजन करारों के रजिस्टर में सम्मिलित की जा सकने वाली विखंडित (डिसएग्रीगेटेड) सूचना प्राप्त करने के लिए प्रारूप विनिर्दिष्ट कर सकेगा। ऐसी सूचना भादूविप्रा द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रस्तुत की जाएगी। इससे संरचित और मानकीकृत सूचना की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित होगी तथा प्रभावी विनियामक पर्यवेक्षण और अंतरसंयोजन व्यवस्थाओं में अधिक पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा।

(v) निरीक्षण शुल्क और प्रतियों के लिए प्रभार का संशोधनः रजिस्टर के निरीक्षण के लिए शुल्क को संशोधित कर प्रति घंटा या उसके किसी भाग के लिए 1,500 रुपये तथा प्रतियां या उद्धरण प्राप्त करने के लिए प्रभार को 500 रुपये प्रति पृष्ठ किया गया है। संशोधित शुल्क

सचिव/Secretary
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
Telecom Regulatory Authority of India
नई दिल्ली/New Delhi

संरचना मोटे तौर पर भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (सूचना तक पहुंच) विनियम, 2005 के अधीन विहित शुल्क संरचना के अनुरूप है।

(vi) वित्तीय निरुत्साहन के लिए श्रेणीबद्ध ढांचा: विनियमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, इन विनियमों के प्रावधानों के उल्लंघन के संबंध में वित्तीय निरुत्साहन का एक श्रेणीबद्ध ढांचा निर्धारित किया गया है। इससे इन विनियमों के अंतर्गत आने वाले उपबंधों के उल्लंघन की प्रकृति और गंभीरता के अनुरूप विनियामक ढांचे का प्रवर्तन अधिक प्रभावी और आनुपातिक होगा।

8. संशोधन विनियम पंजीकरण, प्रस्तुति और पहुंच की प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण के माध्यम से अंत: संयोजन करारों के पंजीकरण और रखरखाव से संबंधित ढांचे को आधुनिक बनाते हैं। सूचना की समयबद्ध प्रस्तुति और श्रेणीबद्ध वित्तीय निरुत्साहन से संबंधित प्रावधान प्रभावी विनियामकीय निगरानी और अनुपालन को सुगम बनाएंगे। समग्र रूप से, संशोधित ढांचे से अंत: संयोजन करारों से संबंधित मामलों में प्रशासनिक दक्षता, पारदर्शिता, सुगम्यता और विनियामकीय निश्चितता में वृद्धि होने की अपेक्षा है।

9. "अंत: संयोजन (इन्टर्कनेक्ट) करार रजिस्टर (चौथा संशोधन) विनियम, 2026" का पूर्ण पाठ, व्याख्यात्मक ज्ञापन सहित भादूविप्रा की वेबसाइट (www.trai.gov.in) पर उपलब्ध है।

10. किसी भी स्पष्टीकरण/ जानकारी के लिए श्री समीर गुप्ता, सलाहकार (नेटवर्क, स्पेक्ट्रम एवं लाइसेंसिंग-I), भादूविप्रा से ईमेल आईडी: adv-nsl1@trai.gov.in अथवा दूरभाष संख्या +91-11-20907752 पर संपर्क किया जा सकता है।

6/11/2026

(पुष्पेंद्र कुमार सिंह)

सचिव (प्रभारी), भादूविप्रा

सचिव/Secretary
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
Telecom Regulatory Authority of India
नई दिल्ली/New Delhi